

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 1295/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक- 16/12/2022.

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर,
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल,
हाईडिल कालोनी, गाजीपुर

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लि0 वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28हे0 आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048हे0, आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79हे0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51हे0 आरक्षित वन भूमि एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग में 54.652हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल प्रभावित 319.28हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना लीज पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-962/11-सी दिनांक-12.09.2022 इस कार्यालय के पत्रांक-773/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-28.09.2022, पत्रांक-957 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-29.10.2022 तथा आपके कार्यालय का पत्रांक-2227 /वि0प्रे0खं0-गा दिनांक-12.11.2022.

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या-773/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-28.09.2022 तथा पत्रांक-957 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक-29.10.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-962/11-सी दिनांक-12.09.2022 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में आपके कार्यालय के पत्रांक-2227/वि0प्रे0खं0-गा दिनांक-12.11.2022 द्वारा आपत्ति निराकरण से सम्बन्धित पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। जिसमें मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति संख्या-3 का निराकरण में आप द्वारा उल्लेख किया गया है कि "महोदय के स्तर से होना है"। जबकि आपत्ति संख्या 3 में प्रस्ताव से सम्बन्धित संशोधित लागत लाभ विश्लेषण (नयी एन0पी0वी0 की दर से) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

उक्त के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक-06.01.2022 द्वारा निर्धारित नयी एन0पी0वी0 की दर के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि आप मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी

आपत्ति संख्या-3 का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- 1295 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, सोनभद्र, मीरजापुर एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

Received
16/12/24
S. K. SINGH

प्रस्तावित वनभूमि का नेट प्रजेण्ट वैल्यू (NPV) की गणना:-

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0प्र0, पावर ट्रांसमिशन, कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा विद्युत पारेषण लाईन को पुनः 30 वर्षों के लीज नवीनीकरण में ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत कुल 113.048 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रहा है। प्रभावित वन भूमि का नेट प्रजेण्ट वैल्यू (NPV) गणना निम्नानुसार है:-

वन प्रकार	क्षेत्रफल (हे0में)	इको क्लास	भारत सरकार का पत्र दिनांक- 06.01.2022 के अनुसार प्रति हे0 वैल्यू रु0 में	कुल वैल्यू रु0 में (कालम संख्या 2X4)
1	2	3	4	5
आरक्षित वन	113.048	III	9,57,780.00	10,82,75,113.00

(दस करोड़ बयासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ तेरह रुपये मात्र)


(अनुसंग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।